

# अमर चैतना

वर्ष- 08, अंक- 118

(दिनांक दिनांक)

(प्राप्त: कालीन संस्करण)

फतेहपुर, गुरुवार, 16 दिसम्बर 2021

E-Mail:- amarchetnaftp@gmail.com

पृष्ठ-6, मूल्य- 3.00 रुपया

मुख्यमंत्री योगी ने लांच किया संकल्प अभियान, बोले

सीडीएस वॉपर फ्रैंस में एक और दुखद खबर

## जनता दे सुझाव, यूपी को नंबर एक बनाना हमारा संकल्प

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जनता के सुझावों पर अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) तैयार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के यूपी नंबर 1: सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली और वर्तमान सरकार का फर्क विभिन्न उदाहरणों से समझाया। उहोंने कहा कि कहा कि पिछली सकारों में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आज माफिया पर कार्रवाई की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जो संकल्प पत्र जारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भाजपा के लिए उपसंचारी दिनेश शर्मा, लोक कल्याण संकल्प समिति के



पत्र नहीं जारी किया था, बल्कि संकल्प पत्र को जारी किया था। संकल्प लोक कल्याण का माध्यम है। संकल्प व्यक्ति के लिए लोक कल्याण और राष्ट्रीय कल्याण के साथ वर्ष 2017 में हम जुटे थे और उसे पूरा करने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो समय के साथ ही कहीं किनारे लग जाता है। वहीं, भाजपा का संकल्प पत्र लोक कल्याण और राष्ट्रीय कल्याण के लिए होता है। उहोंने कहा कि फर्क साफ़ है क्योंकि बात को लेकर कि पहले की सरकारों के संबोधित करते हुए कर्ता हुए थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को समान वर्ष में हुए विधानसभा चुनाव से पहले हमने विपक्षी पार्टियों को तरह घोषणा किया। फर्क साफ़ है कि पहले की सरकार

### महाराष्ट्र निकाय चुनाव

## सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: ओबीसी आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य अधिसूचित करें



नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीती छह दिसंबर को राज्य में ओबीसी को लेकर आरक्षित 27 फीसदी सीटों के लिए अरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने यह साफ़ किया था कि बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इन अधिसूचित करें जिससे चुनावी

प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके

ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अरक्षित आरक्षित 27 फीसदी सीटों को लेकर आरक्षित सीटों पर अपनी आदेश तक रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने यह साफ़ किया था कि बाकी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इन अधिसूचित करें जिससे चुनावी

प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगी।

प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके

ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अरक्षित आरक्षित 27 फीसदी सीटों को लेकर आरक्षित सीटों पर अपनी आदेश तक रोक लगा दी थी।

प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगी।

प्रक्रिया को आगे बढ़









